न्यायालय :- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एंव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानोड़ , जिला उदयपुर

प्रेस नोट

दिनांक -07.04.2026

भिण्डर/उदयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) के तत्वावधान और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), उदयपुर के निर्देशानुसार "ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे" (Transformative Tuesday) विधिक साक्षरता एवं संवेदीकरण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट कानोड़ की न्यायिक अधिकारी श्रीमती मानिता प्रकाश द्वारा कैंप कोर्ट भिण्डर के दौरान डिस्कवरी किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भिण्डर में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायिक अधिकारी ने विद्यार्थियों को जे.जे. एक्ट, पोश एक्ट, पॉक्सो, 'एम्पावरिंग राजस्थान यूथ' और 'स्टे सेफ ऑनलाइन' अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया, साथ ही आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर बच्चों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हुए उन्हें 'गुड टच' और 'बैड टच' के अंतर व आत्म-सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान विद्यालय में "कोर्ट वाली दीदी" नामक एक सीलबंद शिकायत पेटी भी स्थापित की गई, जिसे सीसीटीवी कैमरों से दूर रखा गया ताकि विद्यार्थी बिना किसी डर के अपनी शिकायतें साझा कर सकें, जिनका निस्तारण विधिक प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अब प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में इन शिविरों के माध्यम से विधिक जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि भावी पीढ़ी को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जा सके।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कानोड़, जिला-उदयपुर (राज.)